



प्रेस नोट जनपद बगपत

थाना खेकडा

दिनांक 14.11.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 271/25 धारा 85/115(2)/352/351(3)127(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिन में वाछिंत 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 20.08.2025

को थाना खेकडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1.पति सुमित पुत्र बिजेन्द्र, 2. वादिया की सास, 3.ससुर बिजेन्द्र



पुत्र पितमे निवासीगण ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत व 4. वादिया की ननद द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया, उसके साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा वादिया के पति सुमित, सास व ससुर बिजेन्द्र द्वारा उसके साथ मारपीट की व उसे कमरे में बन्द कर दिया और वादिया से दहेज में 05 लाख रुपये व गाड़ी मांग की गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 271/25 धारा 85/115(2)/352/351(3)127(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिन में वाछिंत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 271/25 धारा 85/115(2)/352/351(3)127(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिन में वाछिंत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिजेन्द्र पुत्र पीतमे निरो सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0निरो श्री रक्षा भारद्वाज थाना खेकड़ा बागपत ।

2-उ0निरो श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 14.11.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 359/25 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस में वाइंट 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.10.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी सत्यपाल पुत्र श्री डालु निवासी कर्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी व उसके पड़ौसियों की ट्यूबैलो से स्टार्टर, कोरनेट, कटआउट और कॉपर वायर व केविल आदि सामान चोरी कर लिया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 359/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 359/25 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त मुकदमे में दिनांक 15.10.2025 को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाकिब पुत्र चुन्नु निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा बागपत।

2-है0का0 05 विनोद कुमार थाना खेकडा बागपत।

3-का0 213 दीपक कुमार थाना खेकडा बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 14.11.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान शराब तस्कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान शराब तस्कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 733/25 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्णपाल उर्फ मीटू पुत्र हरीराम निवासी कमलानगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पाउच अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-म0उ0नि0 नीतू सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 769 सतेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 846 नरेन्द्र कमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 14.11.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान शराब तस्कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 28 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान शराब तस्कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 28 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0300सं0 732/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सनोज उर्फ मनोज पुत्र रणधीर निर्देशी नं0 05 बडौली रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 28 पव्वे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उर्फ आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-हैरानीपाल सिंह बडौत जनपद बागपत ।

3-हैरानीपाल अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-हैरानीपाल प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 14.11.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-बिजेन्द्र पुत्र बाबू निरोगी ग्राम डौला थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-मनोज पुत्र धर्मवीर निरोगी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 2-थाना सिंधावली अहीर पुलिस टीम । (01 वारंटी)